फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

श्रीमती खुमाणी देवी बनाम विपक्षी : श्री देवा व अन्य

मुकदमा – 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता पत्रावली संख्या : 05/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 24.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण संख्या 134/21 में दिनांक 19.09.2024 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया की मूल प्रकरण संख्या 134/21 अनवान खुमाणी देवी बनाम देवा मे दिनांक 19.09.2024 को अधिवक्ता वादी मय वादी के अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः देरी की अवधि कण्डोन किया जाता हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रकरण माननीय न्यायालय वल्लभनगर से माननीय न्यायालय भीण्डर में स्थानान्तरित होने के बाद पेशी की सूचना अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने से वादीया न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रही। वादीया को कैंम्प कोर्ट की सुचना तो प्राप्त हुई लेकिन उसके बाद अगली तारीख पेशी की सुचना नहीं होने से वादीया न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी जिससे दिनांक 19.09.2024 को वादी का वाद पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया जिससे मूल वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थी पेशी दिनांक 19.09.2024 को अनुपस्थित रहे जो प्रार्थी की लापरवाही का घोतक हैं। प्रार्थी को प्रकरण के स्थानान्तरण की जानकारी थी। प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर व अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपनी पेशी दिनांक की जानकारी प्राप्त कर सकता था। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। प्रकरण में प्रार्थी का हित निहीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र प्रकरण संख्या 134/21 अनवान खुमाणी देवी बनाम देवा में आदेश दिनांक 19.09.2024 को अपास्त किया जाकर मूल वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:23 IST
Reason: SelfAttested